संख्या- 40/2019/1261/46-1-19-1000(28)/2018

प्रेषक,

कमल किशोर गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी,
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हापुड, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, लखीमपुर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती तथा महराजगंज।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ :दिनांक 30 सितम्बर, 2019

विषयः- चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण (जिला योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-23 (सामान्य) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उ.प्र. के पत्र संख्या-555/12-निर्माण:अ.ग्रा., दिनांक 20-08-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण (जिला योजना) हेतु निर्धारित फंडिगं पैर्टन 80:20 के अनुसार 80 प्रतिशत राज्यांश के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत प्राविधानित की धनराशि रू. 1032.00 लाख (रूपये दस करोड़ बत्तीस लाख मात्र) के सापेक्ष जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हापुड, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, लखीमपुर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती तथा महराजगंज के कुल 42 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराने हेतु संलग्नक में उनके सम्मुख कालम-5 में अंकित कुल लागत रू. 1312.063 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए एवं तालिका के कालम-6 के अनुसार देय राज्यांश की कुल धनराशि रू.1032.000लाख (रूपये दस करोड़ बत्तीस लाख मात्र) के सापेक्ष कालम-7 के अनुसार प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रु. 516.00 लाख अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) परिषद अंश की धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही जनपद विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में धनराशि का प्राविधान/आवंटन किया जा रहा है।

(2) जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा राज्यांश का भुगतान तभी किया जायेगा जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

(3) कार्य की विशिष्टियॉ मानक व गुणवत्ता के साथ कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की होगी। निहित प्रयोजन से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर-1 के अनुसार शासकीय अंशदान के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सापेक्ष जिला अनुश्रवण समिति के अतिरिक्त कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(4) समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था, अभियंत्रण शाखा कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. होगी। समस्त कार्य निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में सम्पादित कराये जायेंगे। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिटियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचलन स्वीकृत मूल आगणन में 5 प्रतिशत की सीमा तक अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा तैयार विचलन जिला गन्ना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तथा 5 प्रतिशत से अधिक के विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति पर मुख्य अभियन्ता के द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि प्रस्तावित कार्योंके विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु बजटीय प्राविधान संबंधित जनपद के अन्तर्गत उपलब्ध है।

(5) सेंटेज चार्जेज की धनराशि शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 तथा शासनदेश संख्या-ए-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11-11-2014 की व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगी। शासनादेश के संलग्नक के कालम-7 में अंकित सेंटेज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. को दी जायेगी।

(6) उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अ नुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2020) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22-03-2019 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से एप्रेजल (Appraisal) एवं तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(9) स्वीकृति धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। ऑकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित करेंगे।

(10) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(11) कार्य की विशिष्टयॉ मानक व गुणवत्ता आदि सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(12) योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ का होगा।

(13) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर धनराशि का आहरण निर्माण कार्य हेतु तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही आवश्यक धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय। आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(14) शासनादेश के अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्यों के सापेक्ष प्रस्तावित कार्य को पूर्ण कर लिये जाने पर पारदर्शिता तथा सामान्यजन को पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के दृष्टिगत पूर्ण कार्यों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर जनपदीय अधिकारियों के द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड भी किया जायेगा।

2. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-23 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सडक निर्माण कार्य-04-चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-660/दस-19, दिनांक 27 सितम्बर, 2019 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

कमल किशोर गुप्त,
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 40/ 2019/1261(1)/46-1-19-1000(28)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद
3. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4. गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित धनराशि/बजट को सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से जनपदों को आवंटित करने का कष्ट करें।
6. संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7. संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
8. संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9. संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
10. नियोजन अनुभाग-4/ राज्य योजना आयोग-1/2,
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
12. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-40 /2019/1261/46-1-19-1000(28)/2018, दिनांक 30 सितम्बर, 2019 का संलग्नक

अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत जिला योजना में प्रस्तावित सड़कों के सुदृढ़ीकरण की जनपदवार/सड़कवार कार्ययोजना का विवरण

क्र.	जनपद का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत (ला.रू.)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश की धनराशि (ला.रू.)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	सेन्टेज की कुल धनराशि (ला.रू.)	सेन्टेज की कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित कुल धनराशि (ला.रू.)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	निर्माण का वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सहारनपुर	माण्डला से मुसैल की ओर	0.514	13.785	10.843	5.421	1.214	0.607	9.629	4.814	2000-01
2	सहारनपुर	दादनपुर से भारीझाल की ओर	0.750	20.439	16.076	8.038	1.800	0.900	14.276	7.138	2002-03
3	सहारनपुर	गंगोह पी.डब्लू.डी. मार्ग से खानपुर की ओर	1.290	36.982	29.088	14.544	3.258	1.629	25.830	12.915	2007-08
4	सहारनपुर	रणदेेवा से वाया नल्हेडा नकुड अम्बेहटा मार्ग की ओर	0.900	25.627	20.157	10.079	2.257	1.128	17.900	8.951	2006-07
5	सहारनपुर	गागलहेडी कैलाशपुर मार्ग से उग्राहु	0.800	21.718	17.082	8.541	1.913	0.957	15.169	7.584	2001-02
		जनपद का योग	**4.254**	**118.551**	**93.246**	**46.623**	**10.442**	**5.221**	**82.804**	**41.402**	
6	मु0 नगर	नावला से खेड़ी तगान का अवशेष भाग	0.535	15.180	11.940	5.970	1.337	0.669	10.603	5.301	2003-04
7	मु0 नगर	मिल रोड से बसी मार्ग	0.990	28.550	22.456	11.228	2.515	1.257	19.941	9.971	1999-2000
		जनपद का योग	**1.525**	**43.730**	**34.396**	**17.198**	**3.852**	**1.926**	**30.544**	**15.272**	
8	शामली	मादलपुर से नौजली रजवाहे की पटरी मार्ग	1.400	40.886	32.159	16.079	3.602	1.801	28.557	14.278	2005-06
9	शामली	मोर माजरा चैराहे से ग्राम तितारसी मार्ग का अवशेष भाग	0.885	25.669	20.190	10.095	2.261	1.130	17.929	8.965	2005-06
10	शामली	बझेडी से गागोर की ओर पक्की सडक तक	0.860	30.344	23.867	11.934	2.673	1.337	21.194	10.597	2004-05
		जनपद का योग	**3.145**	**96.899**	**76.216**	**38.108**	**8.536**	**4.268**	**67.680**	**33.840**	
11	मेरठ	खेडी से मवीमीरा मार्ग प्र. भाग	1.410	44.160	34.734	17.367	3.890	1.945	30.844	15.422	2009-10

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

12	मेरठ	कोहला नहर पटरी से ग्राम भन्डौरा मार्ग प्रथम भाग	0.740	22.990	18.083	9.042	2.025	1.012	16.058	8.030	2008-09
		जनपद का योग	**2.150**	**67.150**	**52.817**	**26.409**	**5.915**	**2.957**	**46.902**	**23.452**	
13	हापुड़	ढाना रोड माइनर की पुलिया से फुलडेहरा मार्ग	0.410	12.007	9.444	4.722	1.058	0.529	8.386	4.193	2007-08
		जनपद का योग	**0.410**	**12.007**	**9.444**	**4.722**	**1.058**	**0.529**	**8.386**	**4.193**	
14	बिजनौर	बुडेरन मिर्जालीपुर मार्ग(रामनगर टांडा तक)	1.300	42.912	33.752	16.876	3.780	1.890	29.972	14.986	1998-99
15	बिजनौर	न्यामताबाद से बुढ़नपुर मार्ग प्रथम भाग	1.200	39.194	30.828	15.414	3.453	1.726	27.375	13.688	2007-08
16	बिजनौर	एन.एच.-74 से भागी जोत-प्रथम भाग	0.775	25.327	19.921	9.960	2.231	1.116	17.690	8.844	2008-09
17	बिजनौर	करीमपुर से सिकन्दरपुर	0.525	16.122	12.681	6.341	1.420	0.710	11.261	5.631	2005-06
18	बिजनौर	हीमपुर से पाहुली	0.848	28.130	22.126	11.063	2.478	1.239	19.648	9.824	1982-83
		जनपद का योग	**4.648**	**151.685**	**119.308**	**59.654**	**13.362**	**6.681**	**105.946**	**52.973**	
19	अमरोहा	सैदपुर इम्मा से ईदगाह बहादुरपुर मार्ग	2.000	64.076	50.399	25.199	5.644	2.822	44.755	22.377	2008-09
20	अमरोहा	नौगवाँ धनौरा रोड से खण्डसाल कलां मार्ग	0.800	27.220	21.410	10.705	2.398	1.199	19.012	9.506	2007-08
		जनपद का योग	**2.800**	**91.296**	**71.809**	**35.904**	**8.042**	**4.021**	**63.767**	**31.883**	
21	मुरादाबाद	ग्राम अकबरपुर चैदरी में जाटवों की धर्मशाला से मल्लीवाला मन्दिर तक	1.000	31.824	25.031	12.516	2.803	1.401	22.228	11.115	2010-11
		जनपद का योग	**1.000**	**31.824**	**25.031**	**12.516**	**2.803**	**1.401**	**22.228**	**11.115**	
22	बरेली	शीशगढ़ मार्ग से बिल्सा सम्पर्क मार्ग	1.000	35.021	27.546	13.773	3.085	1.542	24.461	12.231	1978-79
23	बरेली	एन एच 24 राजश्री मेडिकल कालेज से सतुइया पट्टी लिंक रोड	0.650	22.241	17.494	8.747	1.959	0.980	15.535	7.767	2008-09
24	बरेली	बसुधरन मार्ग से तजुआ सम्पर्क मार्ग	1.500	53.020	41.703	20.851	4.670	2.335	37.033	18.516	2004-05
		जनपद का योग	**3.150**	**110.282**	**86.743**	**43.371**	**9.714**	**4.857**	**77.029**	**38.514**	
25	बदायूँ	बदायूँ उझियानी मार्ग से रजपुरा मार्ग	0.400	15.558	12.237	6.118	1.370	0.685	10.867	5.433	1988-89

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

		जनपद का योग	**0.400**	**15.558**	**12.237**	**6.118**	**1.370**	**0.685**	**10.867**	**5.433**	
26	पीलीभीत	पीलीभीत जहानाबाद रोड सुन्दरपुर मार्ग से लालपुर गांव सी.सी. रोड तक	0.700	23.160	18.216	9.108	2.040	1.020	16.176	8.088	2007-08
27	पीलीभीत	न्यूरिया महोफ मार्ग पर 500 मीटर आगे से बिहारीपुर गुरूद्वारा होते हुये राजा कालोनी मार्ग	1.150	36.904	29.027	14.513	3.251	1.625	25.776	12.888	2002-03
28	पीलीभीत	टिकरी ईटारोड नहर से नरायनपुर गांव तक	0.350	13.869	10.909	5.455	1.222	0.611	9.687	4.844	1996-97
29	पीलीभीत	पस्तौर कुईया से फिरसा प्रथम भाग	0.500	17.678	13.905	6.953	1.557	0.779	12.348	6.174	2008-09
		जनपद का योग	**2.700**	**91.611**	**72.057**	**36.029**	**8.070**	**4.035**	**63.987**	**31.994**	
30	लखीमपुर खीरी	गोला मोहम्मदी रोड से तुर्कीखेडा	1.050	40.340	31.729	15.864	3.553	1.777	28.176	14.087	2010-11
31	लखीमपुर खीरी	चैखडा सम्पर्क मार्ग	1.100	44.022	34.626	17.313	3.878	1.939	30.748	15.374	2010-11
32	लखीमपुर खीरी	कान्ती देवी इण्टर कालेज से लखनपुरवा सम्पर्क मार्ग	1.000	43.292	34.051	17.025	3.814	1.907	30.237	15.118	2004-05
33	लखीमपुर खीरी	शारदानगर पी.डबलू.डी रोड से पतरासी सम्पर्क मार्ग	0.500	20.549	16.163	8.081	1.810	0.905	14.353	7.176	2010-11
34	लखीमपुर खीरी	लालपुर क्रयकेन्द्र से मण्डप फार्म तक	1.300	60.463	47.557	23.779	5.326	2.663	42.231	21.116	2008-09
35	लखीमपुर खीरी	त्रिकोलिया क्रयकेन्द्र से गुलरीपुरवा	0.600	25.085	19.731	9.866	2.210	1.105	17.521	8.761	2010-11
36	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर गोला मार्ग से सकतापुर मार्ग	1.000	39.657	31.192	15.596	3.493	1.746	27.699	13.850	2007-08
		जनपद का योग	**6.550**	**273.408**	**215.049**	**107.524**	**24.084**	**12.042**	**190.965**	**95.482**	
37	गोण्डा	लालापुरवा से सोठिया प्रा. विद्यालय होते हुये उत्तरपुरवा	0.476	18.900	14.866	7.433	1.665	0.833	13.201	6.600	2010-11
		जनपद का योग	**0.476**	**18.900**	**14.866**	**7.433**	**1.665**	**0.833**	**13.201**	**6.600**	
38	बलरामपुर	बलरामपुर तुलसीपुर मार्ग पर कठोरा से रतोहा मार्ग	0.800	33.850	26.625	13.313	2.982	1.491	23.643	11.822	2009-10
39	बलरामपुर	इटियाथोक मार्ग से परसिया गूदर मार्ग	0.627	25.012	19.673	9.837	2.203	1.102	17.470	8.735	2010-11
		जनपद का योग	**1.427**	**58.862**	**46.298**	**23.150**	**5.185**	**2.593**	**41.113**	**20.557**	
40	बहराइच	तकियामोड से रामपुर गोडवा सम्पर्क मार्ग	0.710	30.170	23.730	11.865	2.658	1.329	21.072	10.536	2008-09

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

		जनपद का योग	**0.710**	**30.170**	**23.730**	**11.865**	**2.658**	**1.329**	**21.072**	**10.536**	
41	बस्ती	अरइल मार्ग से परसवा ग्राम सम्पर्क मार्ग का सुदृढीकरण/मरम्मत कार्य प्र. भाग	0.900	41.420	32.575	16.287	3.649	1.824	28.926	14.463	2004-05
		जनपद का योग	**0.900**	**41.420**	**32.575**	**16.287**	**3.649**	**1.824**	**28.926**	**14.463**	
42	महराजगंज	निचलौल ठूठीबारी मार्ग से पिपरिया मार्ग का सुदृढीकरण/पुनर्निर्माण कार्य	1.400	58.710	46.178	23.089	5.172	2.586	41.006	20.503	2009-10
		जनपद का योग	**1.400**	**58.710**	**46.178**	**23.089**	**5.172**	**2.586**	**41.006**	**20.503**	
		महा योग	**37.645**	**1312.063**	**1032.000**	**516.000**	**115.577**	**57.788**	**916.423**	**458.212**	

(रूपये पांच करोड़ सोलह लाख मात्र)

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है